मार्च 27, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-15

कोविड-19 की प्रतिक्रिया में कार्यकारी आदेश

(कोविड-19 कार्यकारी आदेश क्र. 13)

चूँकि, मैंने, जेबी प्रिटज़कर, इलिनोइस के राज्यपाल, मार्च 9, 2020 को, कोरोनावायरस बिमारी 2019 (कोविड-19) के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनोइस राज्य की सभी काऊँटीज़ को आपदा क्षेत्र घोषित किया है ("गवर्नर आपदा उद्घोषणा"); और,

चूँकि, संपूर्ण इलिनोइस राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बिमार व्यक्तियों की सेवा करने के लिए सक्षम है, मैं मानता हूँ कि सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन के अनुरूप अतिरिक्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि कोविड-19 के प्रसार को कम किया या रोका जा सके।

चूँकि, सामाजिक अलगाव, जिसमें लोगों में कम से कम छः फुट की दूरी बनाए रखना शामिल है, हमारे समुदायों में कोविड-19 के प्रसार को कम करने की सर्वोपरि रणनीति है; और,

चूँकि, मार्च 13, 2020 को मैंने एक कार्यकारी आदेश 2020-05 के द्वारा प्री-K-12 के सभी सरकारी और प्राईवेट स्कूलों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मार्च 17, 2020 से लेकर मार्च 30, 2020 तक बंद करने का आदेश दिया था; और,

चूँकि, मार्च 20, 2020 को मैंने कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया, जिसके अनुसार आवश्यक गतिविधियों, आवश्यक सरकारी कार्यों के संचालन, या आवश्यक व्यवसायों के परिचालन को छोड़कर, सभी व्यक्तियों का अपने घरों या निवास स्थानों पर रहना अनिवार्य है, और प्री-K-12 के सभी सरकारी और प्राईवेट स्कूलों को, यद्यपि दूरस्थ शिक्षा के प्रावधान की अनुमति देते हुए, अप्रैल 7, 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है; और,

चूँकि, कार्यकारी आदेश 2020-10 के अंतर्गत काम करने के लिए स्वीकृत कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए वर्गीकृत आवश्यक व्यवसायों और परिचालनों की परिभाषा के अनुरूप डे केयर सैंटरज़ को आपातकालीन लाईसेंस प्रदान किए गए हैं; और,

चूँकि, इलिनोइस राज्य की जनता के हित में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आवश्यक कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों के पास इस सार्वजनिक स्वास्थय आपदा की अवधि के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली बाल देखभाल तक पहुँच स्थापित की जाए; और,

चूँकि, इलिनोइस स्टेट बोर्ड आफ़ एडूकेशन को स्कूल वर्ष 2019-2020 के लिए युएस डिपार्टमेंट आफ़ एडूकेशन द्वारा, ऐलीमेंटरी एंड सैकेंडरी एडूकेशन एक्ट 1965, 20 U.S.C. § 7861 के अनुच्छेद 1111(b)(2) [Section 1111(b)(2) of the Elementary and Secondary Education Act of 1965, 20 U.S.C. § 7861] के अंतर्गत अनुच्छेदों 111(c)(4) और 1111(d)(2)(C)-(D) [Sections 111(c)(4) and 1111(d)(2)(C)-(D)] की आंकलन और उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं, और अनुच्छेद 111(h) [Section 111(h)] की कुछ रिपोर्टिंग से संबंधित आंकलन और उत्तरदायित्व की अपेक्षाओं के प्रति छूट दी गई है; और,

चूँकि, इलिनोइस राज्य के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक और उपयुक्त है कि गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान प्री-K-12 के सभी सरकारी और प्राईवेट छात्रों की शिक्षा की निरंतरता को कायम रखने के लिए सभी अतिआवश्यक माँगें पूरी की जाएँ; और,

चूँकि, संपूर्ण इलिनोइस के स्कूलों में कई प्रकार की स्कूल निर्माण परियोजनाएँ और पूँजीगत उन्नयन होते हैं, जिनके लिए समय पर बोली लगाना, प्रदान करना, और आरंभ होना आवश्यक है ताकि स्कूल कैलंडर में निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके;

इसलिए, इलिनोइस राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा और इलिनोइस इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट, 20 ILCS 3305 के अनुच्छेदों 7(1), 7(8), और 7(12) [Sections 7(1), 7(8), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act 20 ILCS 3305] के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

अनुच्छेद 1. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान इलिनोइस स्कूल कोड 105 ILCS 5/2-3.64a-5 और 105 ILCS 5/27-3 [Illinois School Code, 105 ILCS 5/2-3.64a-5 and 105 ILCS 5/27-3] के प्रावधानों के अंतर्गत आंकलनों के प्रबंधन की अपेक्षाओं को निलंबित किया जाता है।

अनुच्छेद 2. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड, 105 ILCS 5/10-19, [Illinois School Code, 105 ILCS 5/10-19] स्कूल की अवधि को निर्दिष्ट करने वाले और स्कूल अवधि में बदलाव के लिए अनुमोदन की अपेक्षाओं के प्रावधानों को निलंबित किया जाता है। इस कार्यकारी आदेश में दिया गया कुछ भी, 105 ILCS 5/10-19 के अनुसरण में स्कूल जिलों को कम से कम 185 दिनों की न्यूनतम अवधि में से वास्तविक छात्रों की कम से कम 176 दिनों की उपस्थिति की अपेक्षा से कार्यमुक्त नहीं करेगा। इस कार्यकारी आदेश में दिया गया कुछ भी स्कूल के कार्यकाल के विस्तार के परिणामस्वरूप स्कूल कर्मचारियों को उनके

नियमित अनुबंधों के आधार पर अतिरिक्त समय के लिए कार्य करने के लिए मुआवज़ा प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगा।

अनुच्छेद 3. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड, 105 ILCS 5/10-19.05(a)-(j) [Illinois School Code, 105 ILCS 5/10-19.05(a)-(j)], के प्रावधान, जो छात्रों की दैनिक उपस्थिति की गणना के लिए प्रणाली प्रदान करते है, निलंबित हैं।

अनुच्छेद 4. इलिनोइस स्टेट बोर्ड ऑफ ऐडूकेशन, स्टेट सुपरन्टेंडेंट आफ़ ऐडूकेशन को आज्ञा देने वाले, आगे दिए गए इन नियमों को लागू कर सकता है।: (क) स्कूल कैलेंडर और स्कूल दिवसों की न्यूनतम अपेक्षाओं पर ध्यान देना; (ख) "दूरस्थ शिक्षा योजना दिवसों" का निर्माण करना, परिभाषित करना, और उनके उपयोगों को निर्धारित करना; (ग) "दूरस्थ शिक्षा दिवसों" का निर्माण करना, परिभाषित करना, और उनके उपयोगों को निर्धारित करना; और (घ) इस कार्यकारी आदेश की शर्तों के अनुरूप अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करना।

अनुच्छेद 5. 27 मार्च, 2020 से शुरू होकर, और गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, सभी सार्वजनिक स्कूल जिले और योग्य संस्थाएँ, जो इलिनोइस स्टेट बोर्ड आफ़ ऐडूकेशन से 105 ILCS 5/2-3.71 के अंतर्गत प्रीस्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अनुदान कार्यक्रम को लागू करने और संचालित करने के लिए या 105 ILCS 5/1C-2 के एक प्रारंभिक बचपन ब्लॉक अनुदान के अंतर्गत धन प्राप्त करते हैं, इस कार्यकारी आदेश 2020-10 से छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों जिनकी आयु 0-12 वर्ष तक की है, को बाल देखभाल सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। अनुदान राशि का यह उपयोग सार्वजनिक स्कूल जिलों या योग्य संस्थाओं की प्रीस्कूल शिक्षा कार्यक्रम या प्रारंभिक बचपन ब्लॉक अनुदान कार्यक्रमों में पहले से पहचाने गए और नामांकित छात्रों को सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है ।

अनुच्छेद 6. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड, 105 ILCS 5/2-3.71 [Illinois School Code, 105 ILCS 5/2-3.71] के निम्नलिखित प्रावधान निलंबित हैं: (1) देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने वाले बच्चों की उम्र से संबंधित अपेक्षाएँ; (2) ऐट-रिस्क बच्चों को सेवा प्रदान करने वाले योग्य कार्यक्रमों को पहली प्राथमिकता और युएस डिपार्टमेंट आफ़ हैल्थ एंड ह्यूमन सर्वसिस के संघीय रजिस्टर में 42 U.S.C. 9902(2) [U.S. Department of Health and Human Services under the authority of 42 U.S.C. 9902(2)] के अधिकार के अंतर्गत नियतकालिक उद्दिनांकित गरीबी दिशानिर्देशों से 4 गुना से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को प्राथमिकता वाले देने वाले योग्य कार्यक्रमों को दूसरी प्राथमिकता देनेवाली

चयन प्रक्रिया; और (3) कार्यकारी आदेश 2020-10 से छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों को बाल देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए लाइसेंस से संबंधित अपेक्षाएँ।

अनुच्छेद 7. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड, 105 ILCS 5 / 1C-2 (c) [Illinois School Code, 105 ILCS 5/1C-2(c)] का प्रावधान, जिसमें विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवा प्राप्त करने वाले बच्चों की आयु से संबंधित अपेक्षाएँ शामिल हैं, निलंबित किया जाता है क्योंकि ये कार्यकारी आदेश 2020-10 से छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों को बाल देखभाल सेवाओं के प्रावधान से जुड़े हुए हैं।

अनुच्छेद 8. इलिनोइस ऐडमिनीस्ट्रेटिव कोड के अनुच्छेद 235.10 (ए) (1-3) के टाईटल 23 [Title 23, Section 235.10(a)(1-3) of the Illinois Administrative Code] की अपेक्षाओं को गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान कार्यकारी आदेश 2020-10 से छूट प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करने के संबंध में निलंबित कर दिया गया है।

अनुच्छेद 9. गवर्नर आपदा उद्घोषणा की अवधि के दौरान, इलिनोइस स्कूल कोड, 105 ILCS 5/10-20.21 [Illinois School Code, 105 ILCS 5/10-20.21] का प्रावधान जोकि निर्माण के उद्देश्य से लगाई जाने वाली बोलियों के संचारन, स्वीकार किए जाने, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोले जाने पर रोक लगाता है, को निलंबित किया जाता है। निर्माण उद्देश्यों के लिए स्कूल जिलों द्वारा प्राप्त किन्हीं बोलियों का संचारन किया जा सकता है, उनको स्वीकार्य किया जा सकता है, या इलेक्ट्रानिक रूप से खोला जा सकता है।

____

जेबी प्रिटज़कर, राज्यपाल

मार्च 27, 2020 को राज्यपाल द्वारा जारी किया गया

मार्च 27, 2020 के राज्य सचिव द्वारा दर्ज किया गया